

**हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची जिसे सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या डब्ल्यू० एफ एफ -(1)-1/वी/2001**

दिनांक 9-8-2004 द्वारा जारी किया गया है।

11-7-2007

क) पूरे प्रदेश भर में

- | | |
|--|--|
| 1. अहेड़ी, ओहरी, होरी, नायक, थोरी | 2. अर्ड पोप, पोपो, ब्राह्मण |
| 3. बाहती | 4. बाता, हैंसी और हेसो |
| 5. बागड़िया | 6. बटचड़ा |
| 7. बरागी, बैरागी | 8. भाट या भाटा (ब्राह्मण या बिना ब्राह्मण) दार्पी |
| 9. भुहालिया | 10. चांग |
| 11. चिड़िमर | 12. धोसाली, दोसाल |
| 3. फकीर | 14. धिर्थ, चांग व बाहती सहित |
| 5. घासी, घसियारा या घोसी | 16. गोरखा (चाहे राजपूत, ब्राह्मण, खत्री आदि लगा हो अथवा नहीं) |
| 7. घाही | 19. गड़रिया |
| 8. गोवाला या गवाला | 21. हजाम, नाई |
| 0. गबारिया, गोरिया या गवार | 24. काहार |
| 3. झीवर, धीवर, झीवर, धीवर, झीयूर, झीर | 26. कुरमी |
| 5. कुम्हार, घुमार, घुम्हार | 27. माहात्म |
| 6. लबाणा | 29. मीरासी |
| 8. मदारी | 31. मेहरा |
| 9. मल्लह | 33. नड़ |
| 12. नाई (कुलीन ब्राह्मण) | 35. सोई |
| 14. पीन्जा, पंजा, नाडफ, नडाफ | 37. बन्जारा |
| 16. तरखान, बढई, रामगढ़ी, धीमान
(जिसमें लोहार नहीं) विश्वकर्मा थवानिस | 39. सन्यासी, गुजराती, व्यास, जो कि परम्परागत मृत्यु के रीति रिवाज से सम्बंधित हों |
| 18. बुजरू, दाकौट | 41. महा ब्राह्मण, अचारज, चारज, अचार्या (मृत्यु की क्रिया पद्धति तथा हिन्दूओं के अंतिम संस्कार से सम्बंधित) |
| 10. पूम्बा | 43. जिला कुल्लु हि.प्र., के मलाणा राजस्व गांव में रहने वाले सामान्य जनमानस |
| 12. हाड़ी | 45. सैनी |
| 14. भंगालियाज सामान्य जनमानस, जो हि.प्र. के जिला कांगड़ा के छोटा भंगाल व बड़ा भंगाल क्षेत्र में प्राचीन समय से रह रहे हैं। | 46. जट/जाट |
| 18. अनुसूचित जाति व जनजाति को छोड़कर, ऐसे "चौहार-का" लोग, जो हि.प्र. के मंडी जिला की चौहार घाटी की 12 ग्राम पंचायतों, य बरधान, बरोट, बाथेरी, धमचयान, कथोग, लटरान, लपास, रोपा, सिलबदवानी, सुधार, टिकर व टरसवान के निवासी हैं। | 47. नाथ |

(ख) केवल नये (Merged) क्षेत्रों में :

गद्दी (चाहे उनके नाम के साथ राजपूत, ब्राह्मण, खत्री आदि जुड़ा हो) तथा जो अनुसूचित जनजाति की सूचि में दर्ज नहीं हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रहेंगे।